न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 125/2019 निर्णय दिनांक 22.1.2020

ओमप्रकाश पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी माणकरासर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

——वादी

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र चीमाराम 2 पुरबाराम 3 पूर्णाराम 4 मघाराम 5 जेठी 6 अमरी पुत्रगण/पुत्रिया धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी माणकरासर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

——प्रतिवादी

उपस्थित–

1 श्री राजूराम बाना अधिवक्ता वादी की तरफ से ।

2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वयं उपस्थित

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद ओमप्रकाश ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेष कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है । वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 के पुत्रगण है जिनकेविरास्तन के खेत खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर में से पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के ब.हि.बराबर हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार प्रार्थी का अपने 1/5 हिस्से पर कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से दिनांक 16.11.2019 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादीप्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 16.11.2019 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादी को

Scanned by CamScanner

धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में वादी का कब्जा काश्त होने एवं वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.11.2019 की इनकारी से वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादी का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादी के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक 16.11.2019 को धमकी दी और प्रतिवादीगण संख्या 1 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादी ने दिनाँक 16.11.2019 को ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से वादी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादी को दिनाँक 16.11.2019 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद हेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन हो गया है। वादी का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। वादी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादी को दिनाँक 16.11.2019 प्राप्त हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1वादी के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 15–20 वर्शो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा वादी के खेतों विक्रय कर दिया तो वादी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काष्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनाँक 16.11.2019 को वादी को वादगत पर प्रवेष न करने, कृषि कार्य नही करने तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :–

क. यह है कि यह है कि उक्त वादगत खेत खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर के 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख. यह है कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत बैंजा नहीं करें ना करावे उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हो। दौराने दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

ग. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 6 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी के उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें। तद्नुसार ही अलग पास बुक जारी कर लगान कायम करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 स्वयं उपस्थित आये तथा राजीनामा पेष किया । वादी प्रतिवादी को जरिये राजीनामा वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

वादगत खेत खसरा नम्बर 320 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/136 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/318 तादादी 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही माणकरासर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बहिब खातेदार घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अपना हिस्सा लेना नहीं चाहती अतः राजस्व रिकार्ड से उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner